

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

पशुधन विभाग,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक(प्रशासन एवं विकास),

पशुपालन विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक // मार्च 2016

विषय- सेवा सम्बन्धी / अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

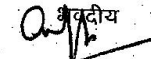
महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बन्धी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 यथासंशोधित निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27 ए में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं:-

Representation by government servants - No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को "द्वारा उचित माध्यम" ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध समुचित/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अतः कृपया उक्त सन्दर्भित नियमावली के नियम-27 ए का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।


(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या-539 (1)/37-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग।
- 2- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, 30प्र0,।
- 3- उप निदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।
- 4- पशुधन अनुभाग-2।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 1188/स्था0-1/एक-क/15 (245)/2014

दिनांक: 28/3/2016

शासनादेश संख्या-539/37-1-2016-3(06)/2016, दि० 11 मार्च, 2016 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

- 1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संयुक्त निदेशक (गायनो/पैथो) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त संयुक्त निदेशक (डी०एफ०एस०) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 5- अपर निदेशक (ग्रेड-2) बी०पी०संस्थान, लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक सघन भेड़ विकास मिर्जापुर।
- 7- संयुक्त निदेशक भदावरी प्रक्षेत्र इटावा।
- 8- संयुक्त निदेशक भैंसोडा, चन्दौली।
- 9- उपनिदेशक(प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
- 10- समस्त अधिकारीगण एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय।
- 11- संयुक्त निदेशक रजिस्ट्रार वेटनरी कौंसिल, लखनऊ।
- 12- निदेशक(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित
- 13- संयुक्त सचिव, पशुधन-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(नेहरू लाल)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)